28.1.25

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

28.01.25 पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 11 व 18 से 20 के वकील उपस्थित।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि वादी (विप्रार्थी) ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में बेबुनियाद एवं मनगढ़त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है वादी ने वाद के पद 1 में अपने पितामह लच्छा का वंशवृक्ष स्वयं एवं श्रवणकुमार को भैराराम के जाइन्दा परिवार बताया है, किंतु उसने भैराराम की जाइन्दा पुत्रियों का वंशवृक्ष में कोई उल्लेख नहीं किया जिनका भी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत वादी के हिस्से का हिस्सा बनता है। साथ ही श्रवणकुमार का भैराराम के पुत्र के रूप में उल्लेख करने के बावजूद उसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर वादी का वाद विधि से वर्जित होने से काबिल खारिज है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 277 में वादी के पिता तथा दादा द्वारा किये गये बेचान को निरस्त करवाने की सक्षम न्यायालय में कार्रवाई किये बिना और वाद में बेचान शून्य व निष्प्रभावी करने की इस्तदुआ चाहे बिना इस खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद हैतुक या कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है। भैरा की माता धर्मी द्वारा खसरा संख्या 277 समग्र भूमि मगा वल्द धर्मा को बंट में देने बाबत किये गये इकरारनामा तथा वादी के पिता व दादा द्वारा किये गये बेचानों को शून्य व निष्प्रभावी करने की इस्तदुआ चाहे बिना प्रस्तुत किया गया वाद काबिल खारिज है। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर 40 साल से निरन्तर कब्जा काश्त होने के आधार पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि के खातेदार बन चुके है और वादी के अधिकारों का अवसान हो चुका है। वादी द्वारा भूमि की कीमतों में हुई अप्रत्याक्षित वृद्वि के कारण लालच में आकर 40 साल की अवधि के बाद बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है, जो चलने योगय नहीं होने और विधि विरूद्व होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

75(2024)

इसके विपरीत वकिल विप्राणी(वादी) की बहस है कि वादी ने पुश्तैनी आधार पर वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है, जो कि उसका अधिकार है। खसरा संख्या 277 की भूमि वक्त बन्दोबस्त वादी के दादा लच्छा वल्द मला की खातेदारी में दर्ज हुई थी। वादी मगाराम, लच्छा के पुत्र भैराराम का पुत्र होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में पुश्तैनी हक रखता है तथा अपने हिस्से की भूमि के संबंध में किये गये बेचानों को शून्य व निष्प्रभावी करवाने का अधिकारी है। वादी का वाद घोषणात्मक होने से इसकी कोई म्याद नहीं होती है और पुश्तैनी हक के संबंध में कभी भी दावा लाया जा सकता है। वादी की माता भंवरीदेवी द्वारा खसरा संख्या 241 की भूमि चम्पादेवी पत्नि गुमनाराम से जरिये इकरारनामा दिनांक 19.11.2008 को प्रतिफल की राशि अदा कर क्रय की थी तथा बाद में चम्पादेवी के बीमार होने एवं उसकी मृत्यु होने से पंजीयन बेचान नहीं हो सका, जिसका फायदा उठाकर के पुत्र द्वारा दिनांक 19.02.2013 को अजनबी क्रेताओं को जरिये रजिस्ट्री बेचान कर उसे शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाते हुए वादी अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 11 व 18 से 20 ने वादी को उसके जायज हकों से महरूम करने एवं न्यायालय का समय बरबाद करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो मय खर्चा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:22 IST
Reason: SelfAttested

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादी ने ग्राम डाबलीनाडी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 241 रकबा 22.0048 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 277 रकबा 6.3264 हैक्टयर भूमि में स्वयं को प्रतिवादी सं. 1 के साथ पुश्तैनी आधार पर सहखातेदार घोषित करवाते हुए खसरा संख्या 241 में 453/8160 हिस्सा एवं खसरा संख्या 277 में 1/8 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वादपत्र के पद सं. 1 में दिये गये वंशवृक्ष में भेरा पुत्र लछा के स्वयं के साथ–साथ अनय पुत्र श्रवणकुमार होने का उल्लेख किया हे, किंतु उसे इस आधार आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उसे वादी या प्रतिवादी किसी प्रकार का पक्षकार नहीं बनाया है। यद्यपि प्रतिवादी सं. 11 व 18 से 20 ने अपने जवाब में उक्त दोनों के अतिरिक्त भैराराम के पुत्रियों के रूप में अन्य वारिस भी होने का एवं इस प्रकार आवश्यक पक्षकार होने का उल्लेख किया हे, तथापि श्रवणकुमार के रूप में पक्षकार होने के संबंध में निर्विवाद रूप से दोनो पक्ष सहमत है। इस प्रकार श्रवणकुमार का असंयोजन होना स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 241 की भूमि वादी के पितामह

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

75/2024

के भाइयों– गुमना व मगा– एवं उनके वारिसान से क्रय किये जाने से उक्त भूमि को वादी के पक्ष में पुश्तैनी नहीं माना जा सकता और उक्त खसरे के संबंध में वादी द्वारा [illegible] स्वतः ही निरस्त योग्य है। क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में कोई हेतुक ([illegible]) [illegible] नहीं बनता है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में निष्पादित हुए बैचानों को [illegible] न्यायालय में चुनौती देने सम्बन्धी कोई दस्तावेज वादी ने वाद के साथ [illegible] है और न उक्त बेचानों को– जो भूमि हस्तान्तरण एवं रिकार्ड परिवर्तन के [illegible] को शूनय व निष्प्रभावी घोषित करवाने की वाद में कोई इस्तदुआ ही चाहा है उक्त बेचान दस्तावेजात के प्रभावी रहते भी वादी का वाद प्रभावी नहीं है।

उपर्युक्त विवचेन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के असंयोजन एवं विधिक त्रुटियों से ग्रस्त होने के आधार पर वादी का वाद चलने योगय नहीं है।

लिहाजा प्रतिवादी सं. 11 व 18 से 20 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:16:22 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner